न्यायालय जिला न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी :–सतेन्द्र कुमार , उच्चतर न्यायिक सेवा
स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–197 सन 2026

UPSP010068822026

युनुस पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम बाबैल परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट, जिला सहारनपुर।

.....आवेदक/वादी

बनाम

प्रेम शंकर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बाबैल परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट, जिला सहारनपुर।

.....विपक्षी।

निस्तारण स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र

23.07.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में आवेदक एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

आवेदक की ओर से स्थानान्तरण **प्रार्थनापत्र कागज सं0–4ग** अन्तर्गत धारा 24 सी. पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने वाद संख्या–1318/2025 युनुस बनाम प्रेम शंकर न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) हवाली सहारनपुर में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया, जो वर्तमान में न्यायालय अपर चतुर्थ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सहारनपुर में विचाराधीन है। प्रतिवादी ने उक्त वाद में उपस्थित होने के उपरान्त एक मूल वाद संख्या–25/2026 प्रेम शंकर बनाम युनुस, ग्राम न्यायालय बेहट में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया तथा न्यायालय के समक्ष असल तथ्य छिपाकर एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करा लिया। उपरोक्त वर्णित दोनों वादों में पक्षकार एक समान है, विवादित सम्पत्ति एक है और विवाद भी एक ही है। उक्त दोनों वादों की सुनवाई एक ही न्यायालय में की जानी न्यायहित में आवश्यक है, क्योंकि दोनों मुकदमों की अलग–अलग न्यायालय में सुनवाई होने से एक ही वाद बिन्दु पर अलग–अलग निष्कर्ष आने की सम्भावना है। आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र के माध्यम से वाद संख्या–25/2026 प्रेम शंकर बनाम युनुस को न्यायालय ग्राम न्यायालय बेहट, जिला सहारनपुर से रिकाल कर न्यायालय चतुर्थ अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सहारनपुर में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में सम्बन्धित न्यायालयो के पीठासीन अधिकारियो से आख्या तलब की गयी।

न्यायालय ग्राम न्यायालय बेहट, जिला सहारनपुर के पीठासीन अधिकारी की आख्या कागज सं0–**8ग** के अनुसार मूल वाद संख्या–**25/2026** प्रेम शंकर बनाम युनुस की पत्रावली वर्तमान में उक्त न्यायालय में विचाराधीन है तथा उपरोक्त पत्रावली एक्शन प्लान से सम्बन्धित नहीं है।

न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चतुर्थ, सहारनपुर के पीठासीन अधिकारी की आख्या कागज सं0–**9ग** के अनुसार मूल वाद संख्या–**1318/2025** युनुस बनाम प्रेम शंकर की पत्रावली वर्तमान में उक्त न्यायालय में विचाराधीन है तथा उपरोक्त पत्रावली एक्शन प्लान के अन्तर्गत नहीं आती है। उपरोक्त वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध लिखित आपत्ति–12ग प्रस्तुत कर

आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथनो का खण्डन करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र के माध्यम से मूल वाद संख्या–1318/2025 युनुस बनाम प्रेम शंकर तथा मूल वाद संख्या–25/2026 प्रेम शंकर बनाम युनुस, दोनों मामलों में विवाद एक ही सम्पत्ति, एक ही अनुतोष तथा समान पक्षकार से सम्बन्धित होने के कारण निस्तारण हेतु एक ही न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है। सम्बन्धित न्यायालयो के पीठासीन अधिकारी की आख्यानुसार भी उपरोक्त वर्णित मूलवाद समान पक्षकारों के मध्य समान सम्पत्ति से सम्बन्धित लम्बित होना परिलक्षित है। इस कारण उपरोक्त दोनो वादो का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। मूल वाद संख्या–25/2026 प्रेम शंकर बनाम युनुस की पत्रावली को न्यायालय ग्राम न्यायालय बेहट, जिला सहारनपुर से वापस लेकर विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चतुर्थ, सहारनपुर में अन्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित न्यायालय सूचित हों ।

(सतेन्द्र कुमार)
जिला न्यायाधीश,सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891

दिनांकः 23.07.2026